59/10 कुधान्त उपवास - पुगनराम

8/2/18

वकीलायै फरीकैन उपस्थित । बहस उभयपक्ष सुनी गई।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा अधिकार घोषणा एवं खाता विभाजन का पेश कर निवेदन किया कि वादी एक रजिस्टर्ड संस्था है। इस संस्था ने प्रतिवादी सं0-4 से 6 से दिनांक 15-9-2004 को आराजी खाता सं0--15 खसरा नं0 2301/3 रकबा 1.788 हैक्टर में से 0.5525 हैक्टर भूमि खरीद की ।जिसका नामा0सं0-1554 दिनांक 5-11-2004 को 1 से 3 के नाम से हो चुका जिन्होंने उक्त भूमि संस्था के लिये ही क्रय की है जिस पर संस्था का भवन बन चुका है। उक्त आराजी को क्रय में राशी संस्था की लगी है।अतः उक्त आराजी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी को ऐकाकी खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे तथा प्रतिवादी सं0-1 से 3 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे । अदालत मातहत ने दावा डिक्री कर दिया किन्तु नियमानुसार मुद्राक एवं पंजीयन शुल्क के बराबर स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने पर ही अमलदरामद का आदेश दिया । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने वादी सं0-1 के नाम दावा तो डिक्री कर दिया किन्तु राजस्व रेकार्ड में स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने के बाद ही अमलदरामद का आदेश दिया वह विधि के विपरित दिया है । तथा अदालत मातहत में विभाजन प्रस्ताव आने के बाद पुनः बिना अपीलान्ट को सूचना दिये ही अपनी मर्जी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगाये और ख0नं0 2301/3/2 एवं 2301/3/4 को रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये है जबकि पूर्व में विभाजन प्रस्ताव आया उसमें रास्ते का कोई विवाद नहीं है न ही किसी पक्षकार की आपत्ति है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपनी मर्जी के अनुसार ही पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर निर्णय किया जिसके बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये बिना किसी पक्षकार की आपत्ति किये पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगाकर आदेश विधि के विपरित पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री खारिज कर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21-5-2010 के

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं ।दिनांक 21-5-2010 के विभाजन प्रस्ताव में रास्ते का प्रावधान नहीं होने से दुबारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार मंगाये जाकर आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया ।दिनांक 7-5-2010 के आदेश की पालना में तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जो दिनांक 21-5-2010 को प्राप्त हुये। इसके बाद दिनांक 27-5-2010 को प्रकरण में लोक अदालत में रखा गया किन्तु 21-5-2010 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाने का कोई आदेश नहीं है। इससे अपीलान्ट के इस तर्क को बल मिलता है कि अपीलान्ट को बिना सूचना दिये 27-5-2010 को विभाजन प्रस्ताव दुबारा मंगवाये जाकर आदेश पारित किया है ।इस कारण हम प्रकरण को इसी बिन्दू पर अदालत मातहत को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सूचना देकर उनकी मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर अपना आदेश पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-5-2010 खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को उक्त निर्देशों के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 23-3-2018 को उपस्थित होवें ।